मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 99/2022 वादपत्र धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

विगसिह उर्फ वीगा पिता रामा मीणा नि. ढिकडिया खेडी तह. बडीसादडी

—वादी

बनाम

1– भेरा पिता रामा मीणा नि. ढिकडिया खेडी तह. बडीसादडी

2– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री एच.एस. राठौड़ तथा प्रतिवादीगण ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा ढिकडियाखेडी पटवार सर्कल जयसिंहपुरा की आराजी नं. 25, 424 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2800 हैक्ट. में वादी का नाम किकला पिता रामा मीणा के स्थान पर विगसिंह उर्फ वीगा पिता रामा 1/2 हिस्सा संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज किया जावे तथा इसी अनुसार वादी के नाम पर खातेदारी की घोषणा की जाती है। । भेरा पिता रामा मीणा का 1/2 हिस्सा यथावत रखा जावे। इस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे....x.... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित....x.... को दी जावे।
यह आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/150 दिनांक :29/08/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 99/2022 ई.रे.

विगसिह उर्फ वीगा पिता रामा मीणा नि. ढिकडिया खेडी तह. बडीसादडी

—वादी

बनाम

2– भेरा पिता रामा मीणा नि. ढिकडिया खेडी तह. बडीसादडी
1– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 रा0टी0एक्ट

// निर्णय // दिनांक :– 25/08/2025

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा ढिकडियाखेडी पटवार सर्कल जयसिंहपुरा कि खाता संख्या 83 की आराजी खसरा 25 रकबा 0.1500 हेक्टेयर लगानी 2 रूपया 85 पैसा, आराजी नम्बर 424 रकबा 0.1300 हेक्टेयर लगानी 91 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 0.2800 हेक्टेयर लगानी 3 रूपया 76 पैसा तहसील बडीसादडी में स्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजीयात पुर्व में श्री रामा जी की खातेदारी में दर्ज थी जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके उतराधिकारी पुत्र विगसिंह उर्फ वीगा तथा भेरा है। श्री रामा जी के स्वर्गवास के बाद नामान्तरणकरण खुला उस समय वादी का नाम गलती से विगसिंह उर्फ वीगा पिता रामा नहीं दर्ज कर किकला पिता रामा 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि रामा के दो पुत्र विगसिंह उर्फ वीगा तथा भेरा होकर इन दोनों का वादग्रस्त आराजीयात में 1/2, 1/2 हक हिस्सा होकर इसी अनुसार दर्ज है। रामा जी के किकला नाम का कोई पुत्र संतान नहीं है वादी का नाम विगसिंह उर्फ वीगा के स्थान पर गलती के किकला दर्ज कर दिया जो संशोधन कर वास्तविक नाम विगसिंह उर्फ वीगा पिता रामा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। इस हेतु वादी के नाम कि खातेदारी के घोषणा की जावे। वादी का नाम इस खाते के अलावा अन्य सभी दस्तावेजात अर्थात राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाते इत्यादि में विगसिंह उर्फ वीगा दर्ज है इसलिये राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम संशोधित किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी की ओर से वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी का नाम किकला पिता रामा के स्थान पर विगसिंह उर्फ वीगा पिता रामा 1/2 हिस्सा संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज किया जावे तथा इसी अनुसार वादी के नाम पर खातेदारी की घोषणा फरमाई जावे। श्री भेरा पिता रामा का 1/2 हिस्सा यथावत रखाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में नारायण, मेघसिंह, बगदीराम, रामा के शपथपत्र पेश किये गये।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा ढिकडियाखेडी पटवार सर्कल जयसिंहपुरा की आराजी नं. 25, 424 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2800 हैक्ट. में वादी का नाम किकला पिता रामा मीणा के स्थान पर विगसिंह उर्फ वीगा पिता रामा 1/2 हिस्सा संशोधित कर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज किया जावे तथा इसी अनुसार वादी के नाम पर खातेदारी की घोषणा की जाती है। । भेरा पिता रामा मीणा का 1/2 हिस्सा यथावत रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)
सत्यमेव जयते

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:47 IST
Reason: SelfAttested